

# प्रेस नोट थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर



सराहनीय कार्य दिनांक - 28.08.2025

**“थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा महिला के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करना विरोध करने पर मारपीट करना तथा फोटो वायरल करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार”**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशनुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अपराध रोकथाम व गिरफ्तारी वाँछित अभियुक्त के क्रम में थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा महिला के साथ घर में घुसकर बलात्कार करना विरोध करने पर मारपीट करना तथा फोटो वायरल करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

### संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 16.08.2025 को वादिनी द्वारा थाना पुवायाँ पर दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 603/2025 धारा 115(2)/351(2) बीएनएस व 66(E) IT ACT पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना पीड़िता द्वारा दिये गये बयान अन्तर्गत धारा 180/183 बीएनएसएस के आधार पर अभियोग में धारा 64(2)(m) /79/314/317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

आज दिनांक 28.08.2025 को थाना पुवायाँ पुलिस को मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वाँछित अभियुक्त शाकिब उर्फ साकिम पुत्र शाकिर नि0 रम्पुरा कामर थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली को पुवायाँ निगोही रोड पर जठियापुर बुजुर्ग से आगे सडक पर बनी पुलिया से समय करीब 12.36 बजे कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

शाकिब उर्फ साकिम पुत्र शाकिर निवासी ग्राम रम्पुरा कमन थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली उम्र करीब 32 वर्ष ।

### गिरफ्तारी का दिनांक , समय व स्थान:-

दिनांक- 28.08.2025, समय 12.36 बजे, स्थान- पुवायाँ निगोही रोड पर जठियापुर बुजुर्ग से आगे सडक पर बनी पुलिया पर

### पंजीकृत अभियोग/गिरफ्तारी:-

मु0अ0सं0 603/2025 धारा 115(2)/351(2)/314/317(2)/64(2)(m)/79 BNS व 66 E IT Act थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर ।

### बरामदगी विवरण:-

1.दो अदद मोबाइल

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.निरीक्षक अपराध श्री राकेश सिंह थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
- 2.का0 2793 अनिल कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
- 2.का0 1947 सोम कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर